

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 11/2019

बउनवान

रूपचन्द आयु 50 साल पुत्र श्री किशनलाल जाति नाथ निवासी खानपुरिया, तहसील मांगरोल,
जिला—बारां (राज.)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां

(रेस्पोंडेंट)



अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-1. श्री चन्द्रप्रकाश यादव, अभिभाषक
2. परोकार सरकार

(अपीलांट)
(रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 01.04.2022

अपीलांट ने जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 15.03.2019 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम मउ, तहसील—मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म—नहरी प्रथम पर अतिक्रमी मानकर 1280/—रूपये अर्थदण्ड एवं 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपीलांट का अपील में कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का अवसर दिये बगैर हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखलीनामा व पैमाईश रिपोर्ट शामिल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी माना है जबकि अपीलांट का वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.03.2019 निरस्त फरमाया जावे।



इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जयें सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

02
जिला कलक्टर
बारां (राज.)

बहस के स्तर पर पत्रावली दिनांक 09.12.2020 से विचाराधीन रही है। इतनी अधिक समयावधि से पत्रावली बहस के स्तर पर विचाराधीन रहने के पश्चात भी अभिभाषक अपीलांट निरंतर समय चाहते रहे। अभिभाषक अपीलांट आज भी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए। ऐसी स्थिति में हमने पेरोकार सरकार की बहस एकपक्षीय समाप्त कर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने का विनिश्चय किया।

दौराने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 273/18 निर्णय दिनांक 26.03.2018 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। पटवारी हल्का के बयान से पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 1287 रकबा 0.80 हैक्टर किस्म-नहरी प्रथम ग्राम मउ पर सम्वत् 2074 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 273/18 में पारित निर्णय दिनांक 26.03.2018 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 28/19 में पारित आदेश दिनांक 15.03.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,
बारा (राज.)